

पेपर-4 - कॉर्पोरेट और आर्थिक कानून

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें

प्रश्न 1

- (a) मून लाइट लिमिटेड ने मई, 2023 में सन शाइन इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में ₹40 लाख का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य ₹20 लाख है। 31.3.2023 तक मून लाइट लिमिटेड और सन शाइन इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड से संबंधित वित्तीय डेटा नीचे दिया गया है:

विवरण (ब्याँरा)	मून लाइट लिमिटेड (₹लाख में)	सन शाइन इन्वेस्टमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (₹लाख में)
I. अधिकृत पूँजी	400	200
II. अभिदत्त एवं चुकता पूँजी		
(a) इक्विटी शेयर	120	150
(b) अधिमान शेयर	10	-
III. मुक्त संचय	10	15
IV. पूँजी संचय	10	-
V. सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से उधार	20	-

- (A) मून लाइट लिमिटेड ने प्रस्ताव की तिथि पर इससे संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

1. किसी भी अन्य निकाय कॉर्पोरेट ने अपनी शेयर पूँजी में कोई पैसा निवेश नहीं किया है।
2. सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर केवल 2 महीने के ब्याज की चूक होती है।
3. मून लाइट लिमिटेड ने स्टार लाइट लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध में एक राष्ट्रीयकृत बैंक को 50 लाख रुपये की गारंटी दी है।

4. मून लाइट लिमिटेड ने अपने प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अपने कर्मचारियों को ₹10 लाख का आवास ऋण दिया है।

(B) सन शाइन इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड ने इससे संबंधित निम्नलिखित अन्य जानकारी प्रस्तुत की:

1. 31.3.2023 को कुल संपत्ति ₹165 लाख थी जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट के शेयरों और डिबेंचर में निवेश ₹100 लाख शामिल था।
2. शेयरों और डिबेंचर में निवेश से प्राप्त आय ₹50 लाख की सकल आय में से ₹15 लाख थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाओं/परिपत्रों का विश्लेषण और संदर्भ देना:

- (i) उपरोक्त परिदृश्य में इक्विटी शेयरों में ₹40 लाख के निवेश प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण और अनुमोदन के तरीके की पहचान करें।
 - (ii) यदि मून लाइट लिमिटेड ने गारंटी के बजाय स्टार लाइट लिमिटेड को ₹50 लाख की सुरक्षा प्रदान की है, तो निवेश प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण और अनुमोदन के तरीके की पहचान करें।
 - (iii) क्या निवेश प्रस्ताव के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की मंजूरी आवश्यक है?
 - (iv) यदि मून लाइट लिमिटेड एक निजी कंपनी है तो क्या मून लाइट लिमिटेड को कोई छूट उपलब्ध है?
 - (v) क्या ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर सन शाइन इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड एक निवेश कंपनी है?
- (b) एए लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है, जो अल्ट्रा-शक्तिशाली बंदूकें बनाती है। 31.3.2022 तक कंपनी के बोर्ड में 12 निदेशक हैं। कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सक्षम प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति के प्रावधान शामिल हैं। 24 सितंबर, 2022 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, संचयी मतदान की प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार 3 साल की अवधि के लिए आठ निदेशकों की नियुक्ति की गई थी। यह पहली बार है जब कंपनी ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया। कंपनी में तीन स्वतंत्र निदेशक हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। सदस्यों के एक समूह ने

निम्नलिखित तीन निदेशकों को हटाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव नोटिस दिया है।

1. A (गैर-कार्यकारी निदेशक), जिन्हें 24 सितंबर, 2022 को आयोजित एजीएम में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार नियुक्त किया गया था।
2. B (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक) जिन्हें 20 सितंबर, 2021 को आयोजित एजीएम में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था।
3. सी (गैर-कार्यकारी महिला निदेशक)।

उपरोक्त तीन निदेशकों को हटाने के प्रस्ताव की विशेष सूचना प्राप्त होने पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित मामलों पर आपकी राय मांगी:

- (i) क्या 24 सितंबर, 2022 को आयोजित एजीएम में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार आठ निदेशकों की नियुक्ति वैध है?
- (ii) क्या उपरोक्त तीन निदेशकों को कंपनी द्वारा हटाया जा सकता है? यदि हाँ, तो हटाने की प्रक्रिया बतायें?
- (iii) क्या कंपनी के लिए निदेशकों को हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव नोटिस की प्रति सभी बारह निदेशकों को भेजना आवश्यक है?

उत्तर

- (a) (i) सन शाइन इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड में ₹40 लाख के निवेश प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण और अनुमोदन का तरीका

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 186 एक कंपनी द्वारा ऋण और निवेश से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। अधिनियम की धारा 186(2) के अनुसार, कोई भी कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से -

- (a) किसी व्यक्ति या अन्य कॉर्पोरेट निकाय को कोई ऋण देना;
- (b) किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई गारंटी देना या सुरक्षा प्रदान करना; और
- (c) किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय की प्रतिभूतियों को सदस्यता, खरीद या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त करना,

इसकी चुकता शेयर पूंजी (इक्विटी और वरीयता), मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के साथ प्रतिशत से अधिक या इसके मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का एक सौ प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

सीमा से अधिक के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा पूर्व अनुमोदन [धारा 186(3)]:

जहां अब तक किए गए ऋण और निवेश का कुल योग, वह राशि जिसके लिए अब तक सभी या सभी अन्य कॉर्पोरेट निकायों को बोर्ड द्वारा प्रस्तावित निवेश, ऋण गारंटी या सुरक्षा के साथ प्रदान की गई गारंटी या सुरक्षा से अधिक है अधिनियम की धारा 186(2) के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर, कोई निवेश या ऋण नहीं दिया जाएगा या गारंटी नहीं दी जाएगी या सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि पहले एक सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत न किया गया हो।

बोर्ड का सर्वसम्मति से प्रस्ताव [धारा 186(5)]:

कंपनी द्वारा कोई भी निवेश या ऋण या गारंटी या सुरक्षा तभी दी जाएगी जब इसे मंजूरी देने वाला प्रस्ताव बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की सहमति से बोर्ड की बैठक में पारित हो।

जहाँ कोई सावधि ऋण विद्यमान है, वहाँ संबंधित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान का पूर्वानुमोदन भी प्राप्त किया जाएगा।

गणना

समस्या में दी गई जानकारी के अनुसार:

चुकता शेयर पूंजी (इक्विटी और वरीयता), मुफ्त आरक्षित और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 60% **₹84 लाख** है

(अर्थात् [₹ 120 + 10+10] का 60% = ₹ 84 लाख) या

इसके मुफ्त भंडार और प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाते का 100% प्रतिशत **10 लाख** है और जो भी अधिक है = **84 लाख**, एक सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा पूर्व प्राधिकार की मांग के बिना।

मून लाइट लिमिटेड ने पहले ही स्टार लाइट लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध में एक राष्ट्रीयकृत बैंक को 50 लाख रुपये की गारंटी दी है।

अब तक किए गए ऋणों और निवेशों का कुल योग, वह राशि जिसके लिए अब तक सभी कॉर्पोरेट निकायों को या उसमें प्रदान की गई गारंटी या सुरक्षा, प्रस्तावित निवेशों,

ऋणों, गारंटी या सुरक्षा के साथ ₹90 लाख (₹50) है लाख की गारंटी + प्रस्तावित निवेश ₹40 लाख = **₹90 लाख**) जो ₹84 लाख की सीमा से अधिक है।

निष्कर्ष: इसलिए, प्रस्तावित निवेश को पहले बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की सहमति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और फिर एक विशेष प्रस्ताव पारित करके सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

टिप्पणियाँ : एमसीए ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों द्वारा प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा अपने कर्मचारियों को दिए गए ऋण और/या अग्रिम अधिनियम की धारा 186 की आवश्यकताओं द्वारा शासित नहीं होते हैं।

(ii) यदि मून लाइट लिमिटेड ने स्टार लाइट लिमिटेड को गारंटी के बजाय ₹50 लाख की सुरक्षा प्रदान की है तो प्राधिकरण और निवेश प्रस्ताव के अनुमोदन का तरीका

अधिनियम की धारा 186 सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी लागू होती है। इसलिए, उत्तर उपरोक्त जैसा ही रहेगा। ₹40 लाख का निवेश प्रस्ताव (मौजूदा निवेश और ऋण के साथ) निवेश की सीमा यानी 84 लाख (यानी भुगतान की गई शेयर पूंजी, मुफ्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 60%) से अधिक है। गारंटी के बदले कंपनी द्वारा सुरक्षा दिए जाने पर भी कोई निवेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसे मंजूरी देने वाला प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की सहमति से पहले से पारित विशेष प्रस्ताव पर पारित न हो जाए। आम बैठक।

(iii) निवेश प्रस्ताव के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) की मंजूरी:

अधिनियम की धारा 186(5) के अनुसार, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी जहां:

- अब तक किए गए ऋण और निवेश का कुल योग, वह राशि जिसके लिए अब तक सभी या सभी अन्य कॉर्पोरेट निकायों को निवेश, ऋण गारंटी या बोर्ड द्वारा किए जाने या दिए जाने के लिए प्रस्तावित सुरक्षा के साथ प्रदान की गई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 186(2) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक
- पीएफआई को ऐसे ऋण के नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण की किस्तों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं है।

प्रश्न में दिए गए तथ्यों के अनुसार मून लाइट लिमिटेड ने ब्याज भुगतान में चूक की है। इसलिए, पीएफआई की पूर्वानुमति आवश्यक है।

(iv) मून लाइट लिमिटेड को छूट, यदि यह एक निजी कंपनी है:

कंपनी अधिनियम की धारा 186 सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों पर लागू होती है। इसलिए, निजी कंपनी होने की स्थिति में मून लाइट लिमिटेड को कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

(v) क्या सन शाइन इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड एक निवेश कंपनी है?

अधिनियम की धारा 186 के स्पष्टीकरण के खंड (ए) के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति 'निवेश कंपनी' का अर्थ एक ऐसी कंपनी है जिसका मुख्य व्यवसाय शेयरों, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण है।

इसके अलावा, एक कंपनी को मुख्य रूप से शेयरों, डिबेंचर, या अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के कारोबार में लगा हुआ माना जाएगा, यदि उसकी संपत्ति शेयरों, डिबेंचर में निवेश के रूप में है, या अन्य प्रतिभूतियां इसकी कुल संपत्ति के पचास प्रतिशत से कम नहीं हैं, या यदि निवेश व्यवसाय से प्राप्त आय इसकी सकल आय के अनुपात के रूप में कम से कम पचास प्रतिशत है।

निवेश परीक्षण

31.03.2023 तक सन शाइन इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड की कुल संपत्ति ₹165 लाख है।

एक कॉर्पोरेट निकाय के शेयरों और डिबेंचर में निवेश ₹100 लाख है जो कुल संपत्ति का 50% से अधिक है।

आय परीक्षण

शेयरों और डिबेंचर में निवेश से प्राप्त आय ₹15 लाख है जो सकल आय का 50% से कम है।

चूंकि सन शाइन इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड निवेश परीक्षण पर खरा उतरता है, इसलिए, यह एक निवेश कंपनी है।

(b) (i) आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार आठ निदेशकों की नियुक्ति:

निदेशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने का विकल्प [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 163]: कंपनी अधिनियम, 2013 में किसी भी बात के बावजूद, किसी कंपनी के लेखों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निदेशकों की नियुक्ति के प्रावधान शामिल होने की आवश्यकता है।

अनुच्छेद में मतदान के निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किसी कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई की नियुक्ति का प्रावधान करने की आवश्यकता है:

- (a) एकल हस्तांतरणीय मत के अनुसार मतदान।
- (b) संचयी मतदान प्रणाली के अनुसार या अन्यथा मतदान करना

और ऐसी नियुक्तियाँ हर तीन साल में एक बार की जा सकती हैं।

निष्कर्ष: एए लिमिटेड द्वारा 8 आठ निदेशकों की नियुक्ति कुल निदेशकों की संख्या (12) का 2/3 हिस्सा है और तीन साल की अवधि के लिए भी। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा एक सामान्य बैठक में नियुक्त किया जाएगा। **तदनुसार, एजीएम में उक्त 8 निदेशकों की नियुक्ति वैध है।**

- (ii) **शेयरधारकों द्वारा तीन निदेशकों को हटाया जाना:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 169 में शेयरधारकों द्वारा निदेशकों को हटाने का प्रावधान है। साधारण प्रस्ताव की आवश्यकता:

एक साधारण संकल्प की आवश्यकता: एक कंपनी, निम्नलिखित को छोड़कर, एक साधारण संकल्प द्वारा, किसी निदेशक को उसके कार्यालय की अवधि समाप्त होने से पहले हटा सकती है:

- (a) जब एक निदेशक को अधिनियम की धारा 242 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- (b) जब धारा 163 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार कुल निदेशकों की संख्या में से दो-तिहाई या अधिक नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसे निदेशकों को हटाया नहीं जा सकता है।

धारा 149(10) के तहत दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी द्वारा केवल एक विशेष प्रस्ताव पारित करके हटाया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए,

श्री ए को कंपनी द्वारा हटाया नहीं जा सकता,

श्री बी को कंपनी द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है

सदस्यों की बैठक में साधारण प्रस्ताव पारित करके श्री सी को हटाया जा सकता है।

प्रक्रिया:

- (1) हटाए जाने वाले निदेशक को हटाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
- (2) किसी निदेशक को हटाने के लिए किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 115 के अनुसार एक विशेष नोटिस की आवश्यकता होगी।
- (3) संबंधित निदेशक कंपनी को एक लिखित अभ्यावेदन दे सकता है और अनुरोध कर सकता है कि इसे सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए और कंपनी ऐसा करेगी।
- (4) किसी निदेशक को हटाने के प्रस्ताव की विशेष सूचना प्राप्त होने पर, कंपनी तुरंत संबंधित निदेशक को उसकी एक प्रति भेजेगी, और निदेशक, चाहे वह कंपनी का सदस्य हो या नहीं, मामले पर सुनवाई का हकदार होगा। बैठक में संकल्प [धारा 169(3)]।

(iii) क्या निदेशकों को हटाने के लिए प्रस्ताव की विशेष सूचना सभी 12 निदेशकों को भेजने की आवश्यकता है?

जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम की धारा 169(3) के प्रावधानों के मद्देनजर, कंपनी को सभी 12 निदेशकों को निदेशकों को हटाने के लिए संकल्प की विशेष सूचना की प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसे केवल उन तीन निदेशकों (ए, बी और सी) को भेजा जाना आवश्यक है जिन्हें हटाया जाना है।

प्रश्न 2

- (a) केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 216 के तहत केवीएस लिमिटेड के खिलाफ वास्तविक स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए एक जांच का आदेश दिया गया था ताकि यह तय किया जा सके कि वास्तव में वित्तीय रूप से कौन हितबद्ध है और कौन कंपनी के वास्तविक नियंत्रण में है। जांच के संबंध में, ट्रिब्यूनल को ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा 10 सितंबर, 2021 को जारी किए गए दो लाख इक्विटी शेयरों के बारे में प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने का अच्छा कारण है। ट्रिब्यूनल की राय है कि जब तक इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता। तदनुसार, ट्रिब्यूनल ने एक आदेश द्वारा कंपनी को निर्देश दिया कि इक्विटी शेयरों

का हस्तांतरण एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधों के अधीन होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए जांच करें और निर्णय लें:

- (i) क्या ट्रिब्यूनल के पास एक वर्ष की अवधि के लिए इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की शक्ति है?
 - (ii) क्या ट्रिब्यूनल के पास एक वर्ष की अवधि के लिए इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध के बजाय चार साल की अवधि के लिए इक्विटी शेयरों के आगे जारी करने पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है?
 - (iii) क्या केवीएस लिमिटेड के हितधारक कंपनी की प्रतिभूतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं?
- (b) उक्त अधिनियम और न्यायिक घोषणाओं के आलोक में उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामले में राहत के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत की गई निम्नलिखित याचिकाओं की योग्यता की जांच करें:
- (i) वीआर एबीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, हालांकि उन्हें कंपनी द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। यह तथ्य अल्पसंख्यक शेयरधारकों के एक समूह को अच्छी तरह से पता है। उसी समूह ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दायर कर दावा किया कि वीआर द्वारा किए गए कार्य उत्पीड़न और कुप्रबंधन के समान हैं और राहत की मांग की।
 - (ii) आरएसएम लिमिटेड के मृत शेयरधारक के कानूनी उत्तराधिकारी आईके ने आरएसएम लिमिटेड के संबंध में उत्पीड़न और कुप्रबंधन के खिलाफ राहत की मांग करते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में एक आवेदन दायर किया, आईके अल्पसंख्यक शेयरधारक की स्थिति में है। लेकिन उनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में नहीं है।
 - (iii) सूचीबद्ध कंपनी ऑन रोड लिमिटेड के सभी जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रैक्टिसिंग वकील आरआर ने राहत के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दायर किया क्योंकि उनकी राय है कि कंपनी का प्रबंधन और कंपनी के मामलों का प्रबंधन किया जा रहा है। या ऐसे तरीके से संचालित किया गया जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल और दमनकारी हो।
- (c) पीएसएम लिमिटेड ने अपने एडी श्रेणी- 1 बैंक द्वारा आवेदन की उचित जांच के बाद अनुमोदन मार्ग के माध्यम से पात्र ऋणदाता के साथ बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

जुटाए। कंपनी पिछली 2 तिमाहियों के दौरान एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा भेजे गए ई-मेल नंबर 8 का जवाब देने में विफल रही। एडी श्रेणी-I बैंक के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, एडी श्रेणी-I बैंक के अधिकारियों के दौरे के दौरान पीएसएम लिमिटेड को चालू नहीं पाया गया। हालाँकि, कंपनी अपने वैधानिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र जमा करने में नियमित है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए, जांच करें और निर्णय लें:

- (i) क्या पीएसएम लिमिटेड को एक अप्राप्य इकाई माना जाता है?
 - (ii) क्या उपरोक्त परिस्थितियों में पीएसएम लिमिटेड के बारे में प्रवर्तन निदेशालय को सूचित करना आवश्यक है?
- (d) भारत निवासी एएक्स अगस्त, 2022 में अस्थायी यात्रा पर लंदन [यूके] और फरवरी, 2023 में भूटान गए थे। अपनी वापसी के समय वह भारत सरकार के करेंसी नोट और लंदन से ₹20,000 के आरबीआई नोट और ₹50 के मूल्यवर्ग में भूटान से ₹1,00,000 के नोट लाए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए, जांच करें और निर्णय लें:
- (i) क्या उपरोक्त स्थितियों में भारतीय मुद्रा का आयात निषिद्ध है?
 - (ii) यदि एएक्स द्वारा भूटान से 1,00,000 रुपये 100 के मूल्यवर्ग में लाए गए हों तो आपका उत्तर क्या होगा?

उत्तर

- (a) प्रतिभूतियों पर प्रतिबंध लगाना [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 222]:

जहां धारा 216 के तहत किसी जांच के संबंध में या इस संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ट्रिब्यूनल को यह प्रतीत होता है कि किसी कंपनी द्वारा जारी या जारी की जाने वाली किसी भी प्रतिभूतियों के बारे में प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने का अच्छा कारण है और ट्रिब्यूनल की राय है कि ऐसे तथ्यों का पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कुछ प्रतिबंध, जैसा वह उचित समझे, नहीं लगाए जाते, ट्रिब्यूनल, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है कि प्रतिभूतियां ऐसे प्रतिबंधों के अधीन होंगी जैसा वह उचित समझे। अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

मामले के तथ्य: केवीएस लिमिटेड के खिलाफ एक जांच में, ट्रिब्यूनल को यह प्रतीत हुआ कि कंपनी द्वारा 10 सितंबर, 2021 को जारी किए गए दो लाख इक्विटी शेयरों के बारे

में प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने का एक अच्छा कारण है। तदनुसार, ट्रिब्यूनल ने एक आदेश द्वारा कंपनी को निर्देश दिया कि इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधों के अधीन होगा।

प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं:

- (i) क्या ट्रिब्यूनल के पास एक वर्ष की अवधि के लिए इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की शक्ति है?

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, हां, ट्रिब्यूनल के पास एक वर्ष की अवधि के लिए इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की शक्ति है क्योंकि निर्धारित अधिकतम अवधि 3 वर्ष है।

- (ii) क्या ट्रिब्यूनल के पास चार साल की अवधि के लिए इक्विटी शेयर जारी करने पर रोक लगाने की शक्ति है?

चूंकि यह प्रावधान किसी कंपनी द्वारा जारी की गई या जारी की जाने वाली किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में है, इसलिए ट्रिब्यूनल एक वर्ष की अवधि के लिए इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध के बजाय इक्विटी शेयरों के आगे के जारी को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अधीन भी प्रतिबंधित कर सकता है। हालाँकि, ट्रिब्यूनल के पास 4 साल की अवधि के लिए इक्विटी शेयर जारी करने पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

- (iii) क्या केवीएस लिमिटेड के हितधारक ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं?

हां, कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इसलिए, केवीएस लिमिटेड के हितधारक कंपनी की प्रतिभूतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं।

- (b) (i) जहां कोई व्यक्ति बिना नियुक्त हुए, प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में कार्य कर रहा था और सदस्यों की जानकारी के साथ या उसके बिना अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा था, तो सदस्य इसे उत्पीड़न के कार्य के रूप में दावा करते हुए ट्रिब्यूनल में आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं।

इस मामले में, वीआर, एबीसी लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं, हालांकि कंपनी द्वारा उन्हें एमडी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। इसकी जानकारी शेयरधारकों के समूह को थी। बाद में, शेयरधारकों के ऐसे समूह द्वारा एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उनके

द्वारा किए गए कार्य उत्पीड़न और कुप्रबंधन के समान हैं और राहत मांगी गई थी।
इसलिए, शेयरधारकों के समूह द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

- (ii) आरएसएम लिमिटेड के मृत शेयरधारक के कानूनी उत्तराधिकारी आईके ने एनसीएलटी के समक्ष याचिका दायर की। ऐसा कानूनी उत्तराधिकारी अल्पसंख्यक शेयरधारक की स्थिति में था। यहाँ, अल्पसंख्यक दर्जे वाले मृतक शेयरधारक का कानूनी उत्तराधिकारी याचिका दायर करने का हकदार है, यहाँ तक कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भी नहीं है।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 245 के अनुसार, सदस्यों, जमाकर्ताओं या उनके किसी भी वर्ग की निर्धारित संख्या, जैसा भी मामला हो, यदि उनकी राय है कि मामलों का प्रबंधन या संचालन कंपनी का संचालन कंपनी या उसके सदस्यों या जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल तरीके से किया जा रहा है, तो सदस्यों की ओर से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर कर सकते हैं। तदनुसार, कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का कोई संघ, धारा 245(10) के तहत चूक के कार्य से प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, उपचार की मांग के लिए सदस्यों या जमाकर्ताओं की ओर से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है। **इसलिए, इस मामले में, सभी जमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रैक्टिसिंग वकील आरआर द्वारा ट्रिब्यूनल में दायर किया गया आवेदन विचारणीय है।**
- (c) दिए गए उदाहरण में, पीएसएम लिमिटेड ने एडी श्रेणी- I बैंक द्वारा आवेदन की उचित जांच के अनुपालन में पात्र उधारदाताओं के लिए ईसीबी बढ़ाया। हालाँकि, पीएसएम लिमिटेड पिछली 2 तिमाहियों के दौरान एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा भेजे गए ईमेल नंबर 8 का जवाब देने में विफल रहा। एडी श्रेणी-I बैंक के अनुसार, एडी श्रेणी-I बैंक के अधिकारियों के दौरे के दौरान पीएसएम लिमिटेड को सक्रिय नहीं पाया गया, लेकिन कंपनी अपने वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र जमा करने में नियमित है।

निम्नलिखित उत्तर हैं:

(i) अप्राप्य इकाई की परिभाषा

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के कारण लेनदेन फेमा, 1999 की धारा 6(3) (डी) द्वारा नियंत्रित होते हैं। कोई भी उधारकर्ता जिसने ईसीबी जुटाई है, उसे 'अनट्रेसेबल एंटिटी' के रूप में माना जाएगा यदि इकाई/लेखापरीक्षक/निदेशक/प्रवर्तक पहुंच योग्य/उत्तरदायी नहीं हैं/ईमेल/पत्रों/ कम से कम दो तिमाहियों की अवधि के लिए फोन पर प्रलेखित संचार/अनुस्मारक संख्या 6 या अधिक के साथ और यह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है:

- (a) एडी बैंक के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इकाई पंजीकृत कार्यालय में सक्रिय नहीं पाई गई या एडी बैंक के अधिकारियों या इस उद्देश्य के लिए एडी बैंक द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी के दौरे के दौरान सक्रिय नहीं पाई गई।
- (b) संस्थाओं ने पिछले दो वर्षों या उससे अधिक के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है;

जबकि, दी गई समस्या में, इकाई अपने वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जमा करने में नियमित है।

चूंकि किसी इकाई को 'अनट्रेसेबल एंटीटी' कहने के लिए ऊपर बताई गई दोनों शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीएसएम लिमिटेड को एक अनट्रेसेबल इकाई नहीं माना जा सकता है।

- (ii) जब भी किसी इकाई को 'अनट्रेसेबल' नामित किया जाए तो प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया जाना चाहिए। दिए गए मामले में, चूंकि पीएसएम लिमिटेड को 'अप्राप्त इकाई' नहीं माना जाता है, इसलिए उसे प्रवर्तन निदेशालय को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

(d) फेमा के तहत वस्तुओं और सेवाओं के आयात से संबंधित विनियमों के अनुसार:

- (1) भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो अस्थायी यात्रा पर भारत से बाहर गया था, भारत के बाहर किसी भी स्थान (नेपाल और भूटान के अलावा) से अपनी वापसी के समय, भारत सरकार के मुद्रा नोट और भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों को ₹25,000 (केवल पच्चीस हजार रुपये) तक की राशि तक ला सकता है।
- (2) कोई व्यक्ति नेपाल या भूटान से बिना किसी सीमा के ₹100/- तक की किसी भी राशि के भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट भारत में ला सकता है।

तदनुसार, उत्तर निम्नलिखित हैं:

- (i) भूटान से ₹50 मूल्यवर्ग में ₹1,00,000 की भारतीय मुद्रा का आयात निषिद्ध नहीं है और बिना किसी सीमा के है। इसके अलावा, लंदन से भारत सरकार के करेंसी नोटों और ₹20,000 के आरबीआई नोटों के आयात की अनुमति है।
- (ii) ऐसे मामले में, जहां भूटान से एक्सएक्स द्वारा ₹100 के मूल्यवर्ग में ₹1,00,000 लाया जाता है, यह निषिद्ध नहीं है और बिना किसी सीमा के है।

प्रश्न 3

- (a) ट्रिब्यूनल ने 1 अप्रैल, 2023 को शेयरों द्वारा सीमित कंपनी जग्गा फुटवियर लिमिटेड को बंद करने का आदेश पारित किया है। कंपनी के निम्नलिखित पिछले सदस्यों के दायित्व की जांच करें, जहां वर्तमान सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में उनके द्वारा किए जाने वाले आवश्यक योगदान को पूरा करने में असमर्थ हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे अपने आंशिक रूप से अवैतनिक शेयरों को हस्तांतरितियों को हस्तांतरित करने के माध्यम से कंपनी के सदस्य नहीं रहे।
- (i) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के प्रति जयंती की देनदारी, जहां वह 31 मार्च, 2022 को सदस्य बनना बंद कर चुकी है।
 - (ii) 31 दिसंबर, 2022 को किए गए ऋण के प्रति नयना की देनदारी जहां वह 30 नवंबर, 2022 को सदस्य नहीं रह गई है।
 - (iii) 31 दिसंबर, 2022 को किए गए ऋण के प्रति चित्रा की देनदारी, जहां वह 1 जनवरी, 2023 को सदस्य बनना बंद कर चुकी है।
- (b) केआरडी रिसर्च डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत में पंजीकृत किया गया था। इसका भावी प्रोजेक्ट एक नए क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से उभरे अनूठे बिजनेस आइडिया को नया रूप देना है। उद्योग में मंदी के कारण, कंपनी के पास पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन और व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी लागू शुल्क का भुगतान करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज [आरओसी] के साथ अपने वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में नियमित रही है। कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्णय लिया। कंपनी ने कंपनी की आम बैठक में इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बजाय, इस उद्देश्य के लिए कंपनी के सभी शेयरधारकों को नोटिस जारी किया और मूल्य में 80% शेयरधारकों की सहमति प्राप्त की।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का हवाला देते हुए निम्नलिखित उत्तर दें:
- (i) क्या आरओसी को फाइलिंग शुल्क का भुगतान उक्त अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन माना जा सकता है?
 - (ii) क्या केआरडी रिसर्च डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने के अभाव में किया गया आवेदन सही है?
- (c) लखनऊ के रणजीत लखनऊ के निकट एक तहसील मुख्यालय में तहसीलदार के पद पर

तैनात थे। ज्वाइन करने के एक साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर लखनऊ में एक तैयार घर खरीदा। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी की व्यावसायिक आय को दिखाया और एक बैंक से घर के मूल्य के 90% का ऋण लिया और गृह ऋण की गारंटी भी दी। इस मामले में, बैंक ने उसकी पत्नी की व्यावसायिक गतिविधि, (व्यवसायिक स्थान का पता, आयकर रिटर्न दाखिल किया, उसने कितने समय तक व्यवसाय किया आदि) सुनिश्चित नहीं किया और केवल यह भरोसा करते हुए कि रणजीत गारंटी दे रहा है, उसने ऋण स्वीकृत कर दिया। लोन लेने के बाद वह अपनी पत्नी के हाउस लोन अकाउंट में कुछ रकम नियमित रूप से (ईएमआई के अलावा) जमा कराते रहे और एक साल के भीतर ही लोन अकाउंट को लिक्विडेट कर दिया। उनके कार्यालय में एक कर्मचारी ने नियमित आधार पर उनके द्वारा रिश्वत / कमीशन लेने और सिर्फ एक साल में खाते को तरल करने के लिए ईडी का अनुपालन किया।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार दिए गए तथ्यों के आलोक में जांच करें कि क्या रणजीत धन शोधन गतिविधि में शामिल था?

- (d) ओएसके बैंक लिमिटेड, एक रिपोर्टिंग प्राधिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत नियुक्त निदेशक द्वारा पूछताछ की जा रही है। निदेशक ने मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए ओएसके बैंक लिमिटेड को अपने रिकॉर्ड का ऑडिट कराने का निर्देश दिया। मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख ने अभिलेखों का लेखापरीक्षा किया और निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें:

- (i) क्या रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है?
- (ii) ऑडिट का खर्च कौन उठाएगा?

उत्तर

- (a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 285 'योगदान की सूची और परिसंपत्तियों के अनुप्रयोग के निपटान' से संबंधित है।

योगदानकर्ताओं की सूची का निपटारा करते समय, न्यायाधिकरण में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होगा, जो सदस्य है या रहा है, जो कंपनी की संपत्ति में ऋण और देनदारियों और लागतों, शुल्कों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि का योगदान करने के लिए उत्तरदायी होगा और समापन के खर्च, और आपस में योगदानकर्ताओं के अधिकारों के समायोजन के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्:-

- (a) एक व्यक्ति जो सदस्य रहा है, वह योगदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह समापन शुरू होने से पहले एक वर्ष या उससे अधिक समय से सदस्य नहीं रह गया है; [धारा 285(3)(ए)]
- (b) एक व्यक्ति जो सदस्य रहा है, वह कंपनी के किसी भी ऋण या दायित्व के संबंध में योगदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि ऐसा ऋण या दायित्व उसके सदस्य बनने के बाद अनुबंधित किया गया हो; [धारा 285(3)(सी)]

तदनुसार, उत्तर निम्नलिखित हैं:

- (i) समापन शुरू होने से एक साल पहले (यानी 31.03.2022 को) जयंती (यानी 1 अप्रैल 2023 को) सदस्य नहीं रही और इसलिए वह इस अवधि (वित्त वर्ष 2021-22) के दौरान किए गए ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। स्थानांतरण के समय शेयरों का पूरा भुगतान न होने पर भी वह सदस्य रही है।
- (ii) नयना कंपनी द्वारा ऋण वहन करने से पहले (अर्थात 30.11.2022 को) सदस्य नहीं रह गई है (अर्थात 31.12.2022 को) और इसलिए, वह ऋण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- (iii) 31 दिसंबर, 2022 को किए गए ऋण के प्रति चित्रा की देनदारी बनी रहेगी क्योंकि वह समापन आदेश (1 अप्रैल, 2023 को) शुरू होने से ठीक तीन महीने पहले 1 जनवरी, 2023 को सदस्य नहीं रह गई थी। **चित्रा शेयरों पर बकाया राशि की सीमा तक उत्तरदायी होगी।**
- (b) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अनुसार, जहां किसी कंपनी का गठन और पंजीकरण इस अधिनियम के तहत किया जाता है, भविष्य की परियोजना के लिए या किसी परिसंपत्ति या बौद्धिक संपदा को रखने के लिए और कोई महत्वपूर्ण लेखा लेनदेन नहीं है, ऐसी कंपनी या निष्क्रिय कंपनी एक निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती है।

धारा 455 के स्पष्टीकरण के अनुसार, "महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन" का अर्थ है-

- कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को शुल्क का भुगतान;
- इस अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके द्वारा किए गए भुगतान, और
- कार्यालय और अभिलेखों के रख-रखाव के लिए भुगतान।

इस प्रकार, आरओसी को फाइलिंग शुल्क का भुगतान एक महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं माना जा सकता है।

निष्कर्ष: तदनुसार, दिए गए मामले में, केआरडी रिसर्च डेवलपमेंट लिमिटेड निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवेदन करने के लिए पात्र है, भले ही उसने कंपनी रजिस्ट्रार को शुल्क का भुगतान जारी रखा हो।

- (ii) कंपनी (विविध) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, कंपनी की आम बैठक में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित करने या कंपनी के सभी शेयरधारकों को इस उद्देश्य के लिए नोटिस जारी करने और कम से कम 3/4 शेयरधारकों (मूल्य में) की सहमति प्राप्त करने के बाद कंपनी धारा 455 के प्रावधानों के अनुसार निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार को निर्धारित फॉर्म एनएससी -1 में आवेदन दे सकती है।

निष्कर्ष: इस प्रकार, केआरडी रिसर्च डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा किया गया आवेदन उचित है, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए कंपनी के सभी शेयरधारकों को एक नोटिस जारी किया गया है और मूल्य में शेयरधारकों के 80% की सहमति प्राप्त की गई है जो कम से कम 3/4 शेयरधारकों (मूल्य में) की आवश्यकता को पूरा करती है।

- (c) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार -

जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की उपज से संबंधित किसी प्रक्रिया या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में इसमें शामिल है, जिसमें इसके छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण या उपयोग और इसे अदूषित संपत्ति के रूप में प्रोजेक्ट करना या दावा करना शामिल है, वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा।

धारा 2(1)(u) "अपराध की कार्यवाही" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप या ऐसी किसी संपत्ति के मूल्य या जहाँऐसी संपत्ति ली जाती है या देश से बाहर रखी जाती है, तो देश या विदेश में रखी गई मूल्य के बराबर संपत्ति;

पीएमएल अधिनियम की धारा 2(1)(वाई) में प्रावधान है कि - "अनुसूचित अपराध" में अन्य अपराधों के अलावा, अनुसूची के भाग ए के तहत निर्दिष्ट अपराध शामिल हैं;

अनुसूची - भाग ए - पैराग्राफ 8 के तहत: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध धारा 7- लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध निर्दिष्ट करता है।

निष्कर्ष: उपरोक्त संबंधित कानूनी प्रावधानों के आलोक में और यदि यह साबित हो गया कि रणजीत ने रिश्वत ली है तो रणजीत का कृत्य मनी लॉन्ड्रिंग यानी रिश्वत के माध्यम से अर्जित काली कमाई को सफेद धन में बदलने के प्रयासों का मामला होगा। और अपनी पत्नी के नाम पर गृह ऋण जुटाना। इसलिए, रंजीत को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि में शामिल माना जाएगा और पीएमएलए, 2002 के तहत उत्तरदायी माना जाएगा।

- (d) पीएमएलए, 2002 की धारा 13 के अनुसार, यदि जांच के किसी भी चरण में या उसके समक्ष किसी अन्य कार्यवाही में, निदेशक मामले की प्रकृति और जटिलता को देखते हुए, इस राय में है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह संबंधित रिपोर्टिंग इकाई को अपने रिकॉर्ड प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है, लेखाकारों के एक पैनल के बीच से एक एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाता है, इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए रखा जाता है। इस तरह के किसी भी लेखा परीक्षा का खर्च और उसका आकस्मिक खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

तदनुसार, प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं:

- (i) नहीं, रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने रिकॉर्ड का ऑडिट कराने के ओएसके बैंक लिमिटेड के निर्देश का अनुपालन नहीं किया है। रिकॉर्ड्स को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अकाउंटेंट के पैनल में से एक अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए और बैंक के मुख्य ऑडिट अधिकारी द्वारा ऑडिट नहीं किया जा सकता है।
- (ii) ऑडिट का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रश्न 4

- (a) विजयन, जो एक बाजार मध्यस्थ है, ने केजीके लिमिटेड की प्रतिभूतियों में कारोबार करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सेबी ने लिखित में दर्ज कारणों से जांच लंबित रहते हुए विजयन द्वारा संचालित बैंक खातों को जब्त करने का प्रस्ताव दिया। उनके द्वारा दो चालू खाते बनाए रखे जाते हैं। एक चालू खाता स्टार बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में है, जहां से केवल केजीके लिमिटेड की प्रतिभूतियों के लेनदेन में शामिल आय का भुगतान किया गया है और दूसरा चालू खाता इंडियन डोमेस्टिक बैंक (आईडीबी) में है, जहां से उनके कपड़ा व्यवसाय के लेनदेन किए गए हैं। एसबीआई के चालू खाते का डेबिट शेष एक लाख रुपये और आईडीबी का 15 लाख रुपये है। सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का हवाला देते हुए:
- (i) एसबीआई या आईडीबी या दोनों के साथ रखे गए बैंक चालू खाते की कुर्की के संबंध

में सेबी को सलाह दें।

- (ii) क्या सेबी के पास प्रतिभूति बाजार के संबंध में विजयन के मामलों की जांच करने की शक्ति है?
- (b) जेकेआर लिमिटेड, एक सूचीबद्ध कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को निम्नलिखित रिपोर्ट/विवरण प्रस्तुत किया:
- (i) 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट 18 जनवरी, 2023 को।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही से संबंधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद 4 अक्टूबर, 2022 को 31.3.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट।
- (iii) शिकायत निवारण तंत्र का विवरण 20 जनवरी, 2023 को 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही में अनसुलझी शेष निवेशक शिकायतों की संख्या को दर्शाता है।
- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का हवाला देते हुए, क्या कंपनी ने उपरोक्त मामलों में समयसीमा आवश्यकताओं और शिकायत निवारण तंत्र के विवरण के संबंध में सामग्री की आवश्यकता का अनुपालन किया है।
- (c) हैदराबाद (भारत) में केके मेडिकेयर ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2015 में समाज के गरीब वर्ग के लिए की गई थी। तब से, ट्रस्ट को नियमित रूप से भारी विदेशी योगदान प्राप्त हो रहा है, जिसमें से चिकित्सा अस्पताल और चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण किया गया है। केके मेडिकेयर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने 30 अप्रैल, 2023 को हुई अपनी बैठक में ट्रस्ट को भंग करने और ट्रस्ट की संपत्ति और परिसंपत्तियों का निपटान करने का निर्णय लिया, जिसमें विदेशी योगदान से बनाई गई संपत्ति भी शामिल थी। केके मेडिकेयर ट्रस्ट के ट्रस्टियों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के आलोक में विदेशी अंशदान की धनराशि से निर्मित ट्रस्ट की संपत्ति के निपटान के लिए लागू प्रावधानों के बारे में बताएं।
- (d) एसएएल और एएफएल ने 10.1.2020 को 4 साल की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध में प्रवेश किया। अनुबंध में एक खंड था कि पार्टियों के बीच विवाद की स्थिति में, ऐसे मामले को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। 30 दिसंबर, 2022 को पार्टियों के बीच एक नया वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध दर्ज किया गया। नए वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं है जैसा कि दिनांक 10.1.2020 के अनुबंध में था।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें:

- (i) क्या पार्टियाँ दिनांक 10.1.2020 के अनुबंध के आधार पर किसी भी भविष्य के विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकती हैं?
- (ii) क्या किसी पक्ष की मृत्यु से मध्यस्थता समझौता समाप्त हो जाता है?

उत्तर

- (a) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अनुसार, बोर्ड एक आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हित में, प्रावधान में दिए गए कोई भी उपाय कर सकता है, या तो जांच लंबित होने पर या पूछताछ या ऐसी जांच या पूछताछ के पूरा होने पर।

धारा के अनुसार, बोर्ड नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में किसी भी तरह से शामिल किसी भी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के बैंक खातों या अन्य संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है।

बशर्ते कि बोर्ड, उक्त कुर्की के नब्बे दिनों के भीतर, धारा 26 ए के तहत स्थापित, अधिकार क्षेत्र वाले विशेष न्यायालय से उक्त कुर्की की पुष्टि प्राप्त करेगा और ऐसी पुष्टि पर, ऐसी कुर्की उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जारी रहेगी। और उक्त कार्यवाही के समापन पर, धारा 28 ए के प्रावधान लागू होंगे।

बशर्ते कि केवल संपत्ति, बैंक खाता या खाते या उसमें दर्ज कोई लेनदेन, जहाँतक यह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में वास्तव में शामिल आय से संबंधित है, या नियमों या उसके तहत बनाए गए नियमों को संलग्न करने की अनुमति दी जाएगी।

- (i) उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, सेबी के पास केजीके लिमिटेड की प्रतिभूतियों में शामिल स्टार बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ रखे गए चालू खाते को संलग्न करने की शक्ति है। **सेबी इंडियन डोमेस्टिक बैंक (आईडीबी) में रखे गए चालू खाते को जब्त नहीं कर सकता।**
- (ii) यदि किसी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने सेबी अधिनियम, 1992 या बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो वह किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति (संदर्भित) को निर्देशित कर सकता है। जांच प्राधिकारी के रूप में ऐसे मध्यस्थों या

प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों के मामलों की जांच करना और उस पर बोर्ड को रिपोर्ट करना।

इसलिए, प्रतिभूति बाजार के संबंध में विजयन के मामलों की जांच के लिए एक आदेश शुरू किया जा सकता है।

(b) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार उत्तर निम्नलिखित होंगे

(i) कॉर्पोरेट प्रशासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट

विनियम 27(2) के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई को तिमाही के समापन से 21 दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में कॉर्पोरेट प्रशासन पर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होगी।

जेकेआर लिमिटेड ने 18 जनवरी, 2023 को रिपोर्ट दायर की। **टाइम लाइन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।** इसे निर्धारित समयावधि से पहले यानी 21 जनवरी, 2023 तक जमा किया गया है।

(ii) कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (एसीआरसीजी)।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और इसे दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी तिमाही की रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट से पहले दायर की गई थी और इसलिए, एसीआरसीजी को समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया गया था क्योंकि इस उदाहरण में या दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के साथ दाखिल करने की समय सीमा 30.09.2022 है।

(iii) विनियम 13(3): शिकायत निवारण तंत्र

सूचीबद्ध इकाई प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिनों के भीतर तिमाही आधार पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ तिमाही की शुरुआत में लंबित निवेशकों की शिकायतों की संख्या देने वाला एक बयान दाखिल करेगी। तिमाही के दौरान प्राप्त हुए, निपटाए गए और तिमाही के अंत में अनसुलझे रह गए।

इस मामले में, 20 जनवरी 2023 को शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दर्ज करके समय-सीमा का अनुपालन किया जाता है, हालांकि, विवरण में सामग्री की आवश्यकता (तिमाही के विभिन्न चरणों के दौरान लंबित शिकायतों, प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों और अनसुलझी शिकायतों की संख्या के बारे में) प्रस्तुत नहीं किये गये जो प्रावधान की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

- (c) दिए गए मामले में, हैदराबाद में केके मेडिकेयर ट्रस्ट की स्थापना 2015 में की गई थी। ट्रस्ट को नियमित रूप से भारी विदेशी योगदान प्राप्त हो रहा था। ट्रस्टियों ने 30 अप्रैल, 2023 को हुई अपनी बैठक में ट्रस्ट को भंग करने और विदेशी योगदान से बनाई गई संपत्ति सहित ट्रस्ट की संपत्ति और परिसंपत्तियों का निपटान करने का निर्णय लिया।

विदेशी अंशदान से सृजित परिसंपत्तियों का निपटान [धारा 22]

जहाँ कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी-

- (a) **अस्तित्व समाप्त हो गया है या निष्क्रिय हो गया है** - इस मामले में ऐसे व्यक्ति की, सभी संपत्तियों का निपटान किसी भी कानून में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जिसके तहत व्यक्ति पंजीकृत या निगमित था; और
- (b) **ऐसे किसी भी कानून के अभाव में**- केंद्र सरकार, इस अधिनियम के तहत प्राप्त विदेशी योगदान से सृजित परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि ऐसी सभी परिसंपत्तियों का निपटान ऐसे प्राधिकरण द्वारा, निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में किया जाएगा।

निष्कर्ष: इसलिए, ट्रस्टी को ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में परिसंपत्तियों के निपटान को नियंत्रित करने वाले ट्रस्ट अधिनियम और इसके उप-कानूनों में लागू खंड का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है या यदि यह मौन है, तो इस संबंध में जारी सरकार की अधिसूचना, यदि कोई हो। **विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों का निपटान कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत नहीं किया जा सकता है।**

- (d) **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अनुसार**, 'मध्यस्थता समझौते' का अर्थ है पक्षों द्वारा उन सभी या कुछ विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का समझौता जो उनके बीच उत्पन्न हुए हैं या जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे संविदात्मक हो या नहीं।

एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाने के लिए "मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़" के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है।

उक्त मामले में,

- (i) नहीं, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, एसएएल और एएफएल दिनांक 10.1.2020 के अनुबंध के आधार पर भविष्य के विवाद को मध्यस्थता के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि 30 दिसंबर 2022 को दर्ज किए गए नए वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं है और न ही अनुबंध में इसका संदर्भ है। एक "दस्तावेज़ जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल है"।
- (ii) किसी भी पक्ष की मृत्यु से मध्यस्थता समझौता समाप्त नहीं होता है। यह मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा।

प्रश्न 5

- (a) (i) ग्लोबल कमर्शियल एलएलसी एक विदेशी कंपनी है जिसका व्यवसाय स्थान मुंबई, भारत में है। ऋण की किशतों में भुगतान न करने पर, भारत में ऋणदाता बैंक एलएलसी को नोटिस देना चाहता है। सलाह दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस किसे और कैसे दिया जाएगा?
- (ii) एमएनओ एलएलसी (एलएलसी), एक विदेशी कंपनी, वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के साथ अपना वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण दाखिल करने में विफल रही है और डिफॉल्ट जारी है। LLC ने मशीनरी की खरीद के लिए अनुबंध किया है जिसकी डिलीवरी 1 जनवरी, 2023 को की गई है। विक्रेता अनुबंध की भुगतान शर्तों में चूक के लिए एलएलसी पर मुकदमा करना चाहता है। इसके विपरीत, एलएलसी मशीनरी के साथ दोषपूर्ण स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के लिए विक्रेता पर मुकदमा करने की योजना बना रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए एक-दूसरे पर मुकदमा चलाने के लिए दोनों पक्षों के अधिकार की जांच करें।
- (b) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के उल्लंघन के लिए कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, इस पर 10 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार ने निर्णायक अधिकारी के रूप में स्ट्राइट लिमिटेड को 10 मार्च, 2023 को नोटिस जारी किया। कंपनी ने समय सीमा के भीतर अपना जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रस्तुत किया। रजिस्ट्रार की राय थी कि शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रार ने जवाब की योग्यता पर विचार करते हुए 25 अप्रैल, 2023 को कंपनी पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। कंपनी ने दलील दी कि रजिस्ट्रार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आदेश पारित नहीं किया है। अतः आदेश मान्य नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें:

- (i) क्या ऑर्डर की वैधता के बारे में कंपनी का तर्क सही है?
 - (ii) यदि शारीरिक उपस्थिति आवश्यक पाई गई और अधिकृत प्रतिनिधि रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हुआ तो आदेश पारित करने के लिए समय सीमा की पहचान करें।
 - (iii) दंड का निर्णय करने के लिए निर्णायक अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार कौन है?
- (c) (A) ओमान इनकॉर्पोरेट (एचयूएफ) ने डी लिमिटेड, [कॉर्पोरेट देनदार] के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की। निर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 26.9.2022 के आदेश के तहत याचिका स्वीकार की और सीआईआरपी शुरू की और पीएस को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद 10.1.2023 को पीएस (आईआरपी) को एसकेए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। सीडी की संपत्ति का बीमा 16.12.2022 को समाप्त हो रहा था। आईआरपी ने सीडी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बीमा को नवीनीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए, लेनदारों की समिति की पूर्व सहमति के बिना पिछली बीमा पॉलिसी की तुलना में उच्च प्रीमियम दर पर नई बीमा पॉलिसी लेने का निर्णय लिया। आईआरपी ने नई बीमा पॉलिसी लेने के लिए बीमा कंपनी के साथ अनुबंध किया।
- (B) एमएन ने एबी प्राइवेट लिमिटेड को 3 साल के भीतर ऋण चुकाने की शर्त के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया है। एबी प्राइवेट लिमिटेड ने कर्ज चुकाने में चूक की। एमएन ने आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद एबी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 9 के तहत याचिका दायर की। निर्णायक प्राधिकारी ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह एक ब्याज मुक्त ऋण है और आवेदक वित्तीय ऋणदाता नहीं है।

IBC, 2016 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्णय लें:

- (i) डी लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई सीआईआरपी के संबंध में सीआईआरपी की शुरुआत की तारीख की पहचान करें
- (ii) क्या पीएस (आईआरपी) के पास नई बीमा पॉलिसी दर्ज करने का अधिकार है?
- (iii) क्या ऊपर उल्लिखित आधार पर एमएन द्वारा की गई याचिका की अस्वीकृति वैध है?

उत्तर

- (a) (i) ग्लोबल कमर्शियल एलएलसी का व्यवसाय स्थान मुंबई, भारत में है, इसलिए यह एक विदेशी कंपनी है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 383 के अनुसार, किसी विदेशी कंपनी को तामील किए जाने के लिए आवश्यक कोई भी प्रक्रिया, नोटिस या अन्य दस्तावेज पर्याप्त रूप से तामील माना जाएगा, यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित हो, जिसका नाम और पता रजिस्ट्रार को भेज दिया गया हो। धारा 380 के तहत और रजिस्ट्रार को या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा दिए गए पते पर छोड़ दिया गया है, या डाक द्वारा भेजा गया है।

निष्कर्ष: ऋणदाता बैंक किसी भी व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है जिसका नाम और पता धारा 380 के तहत रजिस्ट्रार को भेज दिया गया है और उस पते पर छोड़ दिया गया है, या डाक द्वारा भेजा गया है जो रजिस्ट्रार को या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है।

- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 393 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXII के प्रावधानों का अनुपालन करने में किसी भी कंपनी की विफलता, कंपनी या उसके द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध, सौदे या लेनदेन की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। उसके संबंध में मुकदमा दायर करने का दायित्व। हालांकि, जब तक कंपनी अधिनियम, 2013 इस पर लागू होता है, कंपनी के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक कंपनी किसी भी तरह के अनुबंध, सौदे या लेनदेन के संबंध में कोई भी मुकदमा लाने, किसी भी सेट-ऑफ का दावा करने, कोई जवाबी दावा करने या कोई कानूनी कार्यवाही करने की हकदार नहीं होगी।

दिए गए प्रश्न में, एमएनओ एलएलसी (एलएलसी), एक विदेशी कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए रजिस्ट्रार के साथ अपना वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण दाखिल करने में विफल रही है, इसलिए, इसने अध्याय XXII के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विक्रेता अनुबंध की भुगतान शर्तों में चूक के लिए एमएनओ एलएलसी पर मुकदमा कर सकता है। हालांकि, एमएनओ एलएलसी किसी भी अनुबंध, व्यवहार या लेनदेन के संबंध में कोई भी मुकदमा लाने, किसी भी सेट-ऑफ का दावा करने, कोई प्रतिदावा करने या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह कंपनियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। अधिनियम, 2013, इस पर लागू होता है।

(b) आदेश पारित करने की अवधि: निर्णायक अधिकारी एक आदेश पारित करेगा:

- (a) अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, जहां शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी;
- (b) नोटिस जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर, जहां कोई भी व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ:

हालाँकि, यदि उपरोक्त अवधि के बाद कोई आदेश पारित किया जाता है, तो देरी के कारणों को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा और ऐसा कोई भी आदेश केवल 30 दिनों या 90 दिनों की समाप्ति के बाद पारित होने के कारण अमान्य हो सकता है।

(i) क्या ऑर्डर की वैधता के बारे में कंपनी का तर्क सही है?

उक्त आदेश नोटिस जारी होने की तारीख के 30 दिनों के बाद पारित किया गया था। हालाँकि, पारित आदेश वैध है। इसलिए, आदेश की वैधता के बारे में कंपनी का यह तर्क कि उसने समय सीमा के भीतर आदेश पारित नहीं किया है, गलत है।

(ii) निर्धारित समय - सीमा

नोटिस जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर जहां कोई भी व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ।

(iii) निर्णायक प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार

केंद्र सरकार अपने किसी भी अधिकारी को, जो रजिस्ट्रार के पद से नीचे का न हो, अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंड का निर्णय करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(c) (i) डी लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई सीआईआरपी की शुरुआत की तारीख

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7, 9 या 10 के तहत निर्णय प्राधिकारी द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए आवेदन, जैसा भी मामला हो [धारा 5(12)]।

तदनुसार, डी लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू होने की तारीख 26.09.2022 होगी।

(ii) क्या पीएस (आईआरपी) के पास नई बीमा पॉलिसी दर्ज करने का अधिकार है?

वित्तीय सेवा में अन्य सेवाओं के साथ-साथ बीमा अनुबंधों को प्रभावी/कार्यान्वित करना भी शामिल है।

संहिता की धारा 16 के अनुसार, अंतरिम समाधान पेशेवर के पास आवश्यक होने पर एकाउंटेंट, कानूनी या अन्य पेशेवरों को नियुक्त करने और कॉर्पोरेट देनदार की ओर से अनुबंध में प्रवेश करने या अनुबंध या लेनदेन में संशोधन या संशोधन करने का अधिकार होगा। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रवेश किया गया। यहां, चूंकि सीआईआरपी शुरू हो गई है, इसलिए उच्च प्रीमियम दर पर नई बीमा पॉलिसी लेने के लिए सीओसी की मंजूरी आवश्यक है।

पीएस (आईआरपी) ने सीओसी की मंजूरी के बिना और सीआईआरपी शुरू होने के बाद नई बीमा पॉलिसी में प्रवेश किया है।

इसलिए, पीएस (आईआरपी) के पास कोई अधिकार नहीं है।

(iii) क्या एमएन द्वारा की गई याचिका की अस्वीकृति वैध है?

आईबीसी, 2016 की धारा 3(11) के अनुसार, 'ऋण' शब्द का अर्थ किसी दावे के संबंध में देनदारी है जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं। 'वित्तीय ऋण' का अर्थ है ब्याज सहित ऋण, यदि कोई हो, जो धन के समय मूल्य के प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है और इसमें ब्याज के भुगतान के विरुद्ध उधार लिया गया धन भी शामिल होता है। ब्याज, यदि कोई हो, वित्तीय ऋण में शामिल किया जाएगा। वित्तीय ऋण के अर्थ के अनुसार ब्याज अनिवार्य नहीं है। इसलिए, एमएन द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण एक वित्तीय ऋण है और एमएन एक वित्तीय ऋणदाता है।

इस आधार पर आवेदन निरस्त किया जाना मान्य नहीं है।

प्रश्न 6

- (a) (A) पीके लिमिटेड कागज और पेपर बोर्ड के निर्माण में लगी हुई है। ब्रिलियंट को 3 साल की अवधि के लिए छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति के एक महीने बाद ब्रिलियंट को व्हाइट लिमिटेड द्वारा 2 साल की अवधि के लिए छोटे शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। व्हाइट लिमिटेड यात्री कारों के निर्माण में लगी हुई है।

(B) उमेश 15 सितंबर, 2020 तक स्लो लिमिटेड के छोटे शेयरधारक निदेशक थे। उमेश की पेशेवर विशेषज्ञता को देखते हुए, स्लो लिमिटेड ने उन्हें 10 फरवरी, 2023 से प्रबंधक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए जांच करें और निर्णय लें:

(i) 2 वर्ष की अवधि के लिए व्हाइट लिमिटेड में छोटे शेयरधारक निदेशक के रूप में ब्रिलियंट की नियुक्ति की वैधता।

(ii) स्लो लिमिटेड में प्रबंधक (मानव संसाधन) के रूप में उमेश की नियुक्ति की वैधता

(iii) क्या एक छोटा शेयरधारक निदेशक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है?

या

(a) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण के अनुसार सोनाटा गोल्डमाइंस लिमिटेड का शुद्ध लाभ ₹200 लाख है। लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित आइटम शामिल हैं:

क्रमांक संख्या	विवरण	लाभ एवं हानि खाते में दिया गया उपचार	INR (लाख में)
1	राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी जो अन्यथा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित नहीं की गई है	श्रेय दिया गया	5
2	कंपनी द्वारा जब्त किए गए शेयरों की बिक्री पर लाभ	श्रेय दिया गया	2
3	निदेशकों का पारिश्रमिक भुगतान किया गया	कटौती	10
4	आयकर देय	कटौती	30

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आपसे अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 197 के तहत देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के उद्देश्य से शुद्ध लाभ की गणना करें।

(b) किंग ग्लोबल लिमिटेड (KGL) एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। केजीएल ने जिक (एक प्रवासी प्रबंधकीय व्यक्ति) को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया और वित्तीय वर्ष 2022-

23 के दौरान भारत से बाहर पढ़ने वाले तीन बच्चों के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की दर से 5,40,000 रुपये के बाल शिक्षा भत्ते का भुगतान किया। नियुक्ति के नियम एवं शर्तें, जिक ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति बच्चा 2,00,000 रुपये खर्च किए हैं। बच्चों के शिक्षा भत्ते की राशि की गणना अनुलाभ के रूप में करें, जो उपरोक्त परिदृश्य में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V प्रबंधकीय पारिश्रमिक में निर्दिष्ट पारिश्रमिक की सीमा की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।

यदि जिक भारत का निवासी व्यक्ति है तो आपका उत्तर क्या होगा?

- (c) "आरोपी व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के पास ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में विशेष न्यायालय के आदेश द्वारा संपत्ति की कुर्की से संबंधित कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।" धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का जिक्र करते हुए बयान की वैधता की जांच करें।
- (d) कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए वित्तीय ऋणदाता द्वारा किए गए एक आवेदन की मंजूरी के बाद, ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) का गठन किया गया है। इसके बाद, वित्तीय ऋणदाता आवेदन वापस लेना चाहता है लेकिन उसका औचित्य बताने को तैयार नहीं है। क्या वह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत सफल होगा? व्याख्या करें।

उत्तर

(a) पहला विकल्प

कंपनी अधिनियम की धारा 151 के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी में छोटे शेयरधारकों द्वारा चुना गया एक निदेशक हो सकता है।

- (i) कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो से अधिक कंपनियों में छोटे शेयरधारकों के निदेशक का पद नहीं संभाल सकता है।

हालाँकि, दूसरी कंपनी जिसमें उन्हें इस प्रकार नियुक्त किया गया है, ऐसे व्यवसाय में नहीं होगी जो प्रतिस्पर्धा कर रहा हो या पहली कंपनी के व्यवसाय के साथ मतभेद कर रहा हो।

मौजूदा मामले में, ब्रिलियंट, जो पीके लिमिटेड के छोटे शेयरधारक निदेशक थे, को व्हाइट लिमिटेड द्वारा 2 साल की अवधि के लिए छोटे शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि व्हाइट लिमिटेड यात्री कारों के निर्माण में लगी हुई

है, इसलिए, व्हाइट लिमिटेड में उनकी नियुक्ति वैध है क्योंकि व्हाइट लिमिटेड का व्यवसाय पीके लिमिटेड के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है।

- (ii) उक्त नियमावली के अनुसार, किसी लघु शेयरधारक निदेशक को किसी कंपनी में लघु शेयरधारक निदेशक के रूप में पद धारण करने की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी में नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य क्षमता में उसके साथ संबद्ध किया जाएगा।

मौजूदा मामले में, उमेश 15 सितंबर, 2020 को स्लो लिमिटेड के छोटे शेयरधारकों के निदेशक के रूप में पद से हट गए। उन्हें कंपनी द्वारा प्रबंधक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया था 10 फरवरी, 2023 यानी कूलिंग अवधि के 3 साल के भीतर, इसलिए उनकी नियुक्ति वैध नहीं है।

- (iii) छोटे शेयरधारकों के निदेशक का कार्यकाल लगातार तीन वर्षों की अवधि से अधिक नहीं होगा, और कार्यकाल की समाप्ति पर, ऐसे निदेशक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

महत्वपूर्ण लेख: चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 151 के प्रावधान संबंधित नियमों के साथ केवल सूचीबद्ध कंपनी के लिए लागू होते हैं, इसलिए इस प्रश्न में यह माना जाता है कि इसमें उल्लिखित सभी कंपनियां सूचीबद्ध कंपनियां हैं।

(या)

दूसरा विकल्प

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार, धारा 197 के तहत देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के प्रयोजन के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध लाभ की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

- (i) किसी भी सरकार से प्राप्त सब्सिडी के लिए क्रेडिट तब तक दिया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे।
- (ii) जब्त शेयरों की कंपनी द्वारा बिक्री पर लाभ के लिए क्रेडिट नहीं दिया जाएगा;
- (iii) निदेशकों का पारिश्रमिक काटा जाएगा;
- (iv) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंपनी द्वारा देय आयकर और सुपर-टैक्स की कटौती नहीं की जाएगी।

मौजूदा मामले में, ऊपर बताए गए प्रावधानों के अनुसार:

गणना

वस्तुएँ	रुपये (₹ लाख में)
सोनाटा गोल्डमाइंस लिमिटेड का शुद्ध लाभ	₹ 200
राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी के लिए क्रेडिट दिया जाता है जिसे अन्यथा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है	-
श्रेय दिया जाएगा। किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्रेडिट पहले ही दिया जा चुका है [धारा 198(2)]	
कंपनी द्वारा जब्त किए गए शेयरों की बिक्री पर लाभ के लिए क्रेडिट दिया जाता है	(2)
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए और इसलिए कटौती की जानी चाहिए [धारा 198 (3) (बी)]	
निदेशकों का भुगतान किया गया पारिश्रमिक काट लिया जाता है।	निल
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इसकी कटौती की जानी है। [धारा 198(4)(बी)].	
देय आयकर काटा जाता है	30
उक्त राशि अधिनियम के अनुसार कटौती योग्य नहीं है और इसलिए, वापस जोड़ दी गई है।	
संशोधित शुद्ध लाभ	228

इसलिए, धारा 197 के तहत देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के प्रयोजन के लिए संशोधित शुद्ध लाभ ₹228 लाख है।

- (b) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V की धारा IV के अनुसार, एक प्रवासी प्रबंधकीय व्यक्ति (एक अनिवासी भारतीय सहित) निम्नलिखित अनुलाभों के लिए पात्र होगा, जिसे धारा II में निर्दिष्ट पारिश्रमिक की सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। या धारा III:

बच्चों का शिक्षा भत्ता: भारत में या बाहर पढ़ने वाले बच्चों के मामले में, भत्ता अधिकतम ₹12,000 प्रति माह, प्रति बच्चा, या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, तक सीमित है। ऐसा भत्ता अधिकतम दो बच्चों के लिए स्वीकार्य है।

इसलिए, अनुलाभ होने के कारण बच्चों के शिक्षा भत्ते की राशि को अनुसूची में निर्दिष्ट पारिश्रमिक की सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा बनाम उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, ₹2,88,000 की राशि [यानी (12000 * 12 महीने * 2 से कम) बच्चे] या 4,00,000 (2,00,000 * 2 बच्चे)]

- (ii) यदि जिक भारत का निवासी व्यक्ति है, तो पारिश्रमिक की सीमा की गणना में बच्चों के शिक्षा भत्ते को बाहर करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

इसलिए, जीके को भुगतान किए गए बच्चों के शिक्षा भत्ते के लिए ₹5,40,000 को पारिश्रमिक की सीमा की गणना में अनुलाभ के रूप में माना जाएगा।

- (c) मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में कार्यवाही जारी रखना [धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 72]

कहाँ -

- (a) अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति कुर्क की गई है और ऐसी संपत्ति कुर्क करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है; या
- (b) अपीलीय न्यायाधिकरण को कोई अपील की गई है, और-
- (i) खंड (a) में निर्दिष्ट मामले में, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने से पहले ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया घोषित हो जाता है; या
- (ii) खंड (b) में निर्दिष्ट मामले में, अपील के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया घोषित हो जाता है,

फिर, ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों या आधिकारिक समनुदेशिती या आधिकारिक रिसीवर, जैसा भी मामला हो, के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण या जैसा भी मामला हो, अपील के समक्ष अपील जारी रखने के लिए अपील करना वैध होगा। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील जारी रखने के लिए, ऐसे व्यक्ति के स्थान पर और धारा 26 के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, ऐसी अपील पर लागू होंगे या लागू होते रहेंगे।

निष्कर्ष: इसलिए, यह कथन "आरोपी व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के पास ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में विशेष न्यायालय के आदेश द्वारा संपत्ति की कुर्की से संबंधित कार्यवाही जारी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा" मान्य नहीं है।

(d) आवेदन वापस लेना:

आवेदन की वापसी दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 12ए के अनुसार होगी, जिसे आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 30ए के साथ पढ़ा जाएगा।

संहिता की धारा 12 ए के तहत, लेनदारों की समिति (सीओसी) के गठन के बाद लेकिन रुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण (ईओआई) जारी करने से पहले आवेदन वापस लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तदनुसार, निकासी के लिए आवेदन पर सबसे पहले सीओसी द्वारा उसकी प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर विचार किया जाएगा। इस तरह के निकासी आवेदन को सीओसी द्वारा 90% वोटिंग शेयर के साथ मंजूरी दी जाएगी, जिस पर समाधान पेशेवर को ऐसी मंजूरी के तीन दिनों के भीतर आवेदक की ओर से समिति की मंजूरी के साथ निकासी आवेदन को निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा। अंतिम अनुमोदन निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के माध्यम से होगा।

निष्कर्ष: तदनुसार, वित्तीय ऋणदाता बिना कारण बताए आवेदन वापस लेने में तभी सफल होगा, जब ईओआई के लिए निमंत्रण जारी करने से पहले आवेदन किया गया हो और निर्णय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। हालाँकि, यदि ईओआई पहले ही आमंत्रित की जा चुकी है तो वह बिना स्पष्टीकरण दिए सफल नहीं होंगे।